संख्या-192/2023/3539/22-2-2022-17(1461)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फरायतउल्लाह पुत्र श्री जिलाउल्लाह, निवासी जनपद-देवरिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14-09-2022) दिनांक-02-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फरायतउल्लाह पुत्र श्री जिलाउल्लाह, जो ग्राम-मदनपुर, थाना-मदनपुर, जनपद-देवरिया का निवासी है। बन्दी ने पुराने मुकदमे की रंजिश में दिनांक 06.01.2007 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल से इब्राहिम, मुश्ताक तथा मतलूब उर्फ नथुनी नामक व्यक्तियों पर वार किया जिससे मतलूब उर्फ नथुनी नामक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 352 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-02, देवरिया के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.03.2020 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.09.2022 तक 15 वर्ष, 07 माह, 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 06 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में होने, अपराध केवल व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता है, अपितु समाज को भी प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुराने मुकदमे की रंजिश में दिनांक 06.01.2007 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल मतलूब उर्फ नथुनी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी फरायतउल्लाह पुत्र श्री जिलाउल्लाह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फरायतउल्लाह (बन्दी संख्या-107/2019) पुत्र श्री जिलाउल्लाह, निवासी जनपद-देवरिया को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-192/2023/3539(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-242/2022 फरायतउल्लाह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-192/2023/3539/22-2-2022-17(1461)/2022

दिनांक 30 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फरायतउल्लाह पुत्र श्री जिलाउल्लाह, जो ग्राम-मदनपुर, थाना-मदनपुर, जनपद-देवरिया का निवासी है। बन्दी ने पुराने मुकदमे की रंजिश में दिनांक 06.01.2007 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल से इब्राहिम, मुश्ताक तथा मतलूब उर्फ नथुनी नामक व्यक्तियों पर वार किया जिससे मतलूब उर्फ नथुनी नामक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 352 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-02, देवरिया के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.03.2020 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.09.2022 तक 15 वर्ष, 07 माह, 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 06 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में होने, अपराध केवल व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता है, अपितु समाज को भी प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुराने मुकदमे की रंजिश में दिनांक 06.01.2007 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल मतलूब उर्फ नथुनी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फरायतउल्लाह पुत्र श्री जिलाउल्लाह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।